(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 38/2024–25
दिनांकः 3 जनवरी, 2025

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 6.06 में संशोधन के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 6.06 (ग) (ii) और पैरा 6.06 (ग) (iii) में निम्नलिखित संशोधन करते है:

पैरा सं.	मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
6.06 (ग) (ii)	तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मदों {आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय–9 के अन्तर्गत शामिल} के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा।	तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मदों {आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय–9 के अन्तर्गत शामिल} के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की तारीख से **6 माह** के भीतर करना होगा।
6.06 (ग) (iii)	इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ग्राइंडिंग/स्टेरीलाइजेशन अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) के तेल और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात के तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विर्निमाण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।	इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ग्राइंडिंग/स्टेरीलाइजेशन अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) के तेल और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात के तारीख से **6 माह** के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विर्निमाण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

सं. सारंगी

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

एफटीपी/एचबीपी, 2023 के अध्याय 4 के प्रावधानों के साथ समरुपता लाने हेतु व्यापार करने में सुगमता के लिए एचबीपी, 2023 के पैरा 6.06 (ग) (ii) और पैरा 6.06 (ग) (iii) में संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
3.1.2025

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः– dgft@nic.in

[फा. सं. 01/92/180/42/एएम25/पीसी–6/ई–40655 से जारी]